

विक्रय कर अधिकारी और अन्य

बनाम

मैसर्स दत्ता ट्रेडर्स

18 सितम्बर, 2007

[एस.एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.]

उड़ीसा विक्रय कर अधिनियम, 1957:

धारा 16-डी- विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) की विक्रय कर की वसूली करने और दण्ड लगाने की शक्ति - सतर्कता दल के जांच अधिकारी ने वाहन से बिस्किट उतारते समय अनियमितताओं का पता लगाया- विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) ने कर और दण्ड लगाया - निर्धारित किया गया, आयुक्त ने अधिसूचना दिनांक 14.05.1997 द्वारा अपनी शक्तियां विक्रय कर अधिकारी को क्षेत्रवार प्रत्यायोजित की गई, जिसमें विक्रय कर अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है उन्हें तलाशी एवं जब्ती की शक्तियां अन्तर्गत धारा 16-डी के तहत मौके पर ही राशि वसूल करने की शक्ति दी गई है।

धारा 16-डी और धारा 12- कर का मूल्यांकन और वसूली, धारा-16 में मूल्यांकन शब्द का अलग अर्थ है- यह गणना के बारे में बताता है- धारा-16 के अन्तर्गत विक्रय कर अधिकारी कर की गणना मौके पर कर

सकता है और उसका भुगतान करने पर वस्तुओं को मुक्त करने की अनुमति दे सकता है- यह गणना भी निर्धारण है- इस संदर्भ में विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) को मूल्यांकन करने और कर बढ़ाने का शक्ति है- धारा 12 कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, उड़ीसा अधिसूचना संख्या 110008/सी.टी. दिनांक 14.05.1997 के तहत यह मूल्यांकन नियमित मूल्यांकन के विरुद्ध कुछ नहीं करता है।

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7540/2001

उच्च न्यायालय उड़ीसा, कटक: दिनांक 04.09.2000 के आदेश और निर्णय से ओ.जे.सी. संख्या 7135/2000 से।

राकेश द्विवेदी, कीर्ति रेणू मिश्रा अपीलार्थी की ओर से

ए.के. सांघी और रोनो मोहन्ति प्रत्यर्थी की ओर से

इस न्यायालय की ओर से निम्न आदेश पारित किया जाता है:

आदेश

1. प्रतिवादी उड़ीसा विक्रय कर अधिनियम, 1947 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ब्रांडो के बिस्कुट का थोक व्यापारी है। 14 अक्टूबर 1999 को वाहन संख्या डब्लू.बी. 24 ए 0112 से माल उतारा जा रहा था। जब सतर्कता विंग बालासोर डिवीजन के जांच अधिकारी ने कुछ अनियमितताएं पाई और तदनुसार विक्रय कर

अधिकारी (सतर्कता) ने 32,592/-रूपये टैक्स के रूप में अधिरोपित किये और उडीसा विक्रय कर अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 16 डी के तहत जुर्माने के रूपये में 54,320/-रूपये अधिरोपित किये।

2. प्रतिवादी का मुख्य तर्क यह है कि विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) अधिनियम की धारा 16 डी के तहत मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के नियंत्रण में एक अधिकारी है और उसने मूल्यांकन करने की शक्ति नहीं है।

3. दिनांक 14 मई, 1997 की अधिसूचना के तहत, आयुक्त ने अधिनियम की धारा 16-डी के तहत विक्रय कर अधिकारियों और विक्रय कर विभाग के निरीक्षकों को अपनी शक्तियाँ और कर्तव्य प्रत्यायोजित कर दिए। उक्त अधिसूचना अधिनियम की धारा 3(3) के तहत जारी की गई थी। जारी अधिसूचना में उन अधिकारियों को पदनाम से दर्शाया गया है जिन्हें आयोग की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

4. एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने राय दी कि चूंकि विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के अधीन कार्य कर रहा था, वह राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं था और इसलिए, पूर्वाक्त की वसूली कर और जुर्माने के रूप में राशियाँ अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं और तदनुसार, अतिरिक्त आयुक्त का 1 जनवरी, 2000 का आदेश रद्द कर

दिया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध विभाग सिविल अपील के माध्यम से इस न्यायालय में आया है।

5. इस सिविल अपील में विचार के लिए दो प्रश्न उठते हैं। प्रथम, क्या उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) उपरोक्त राशि का वसूल करने का हकदार नहीं है क्योंकि वह पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) के अधीन कार्य कर रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) कर के रूप में रु. 32,592/- की राशि का आकलन और वसूल करने का हकदार था।

6. पहले प्रश्न पर, हम यंहा अधिनियम की धारा 17 उद्धृत कर रहे हैं।

"17. आयुक्त के कार्यों का प्रत्यायोजन, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश दे सकती है, आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियम के तहत अपनी कोई भी शक्ति और कर्तव्य, इसके तहत नियुक्त किसी भी व्यक्ति को सौंप सकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी सहायता के लिए धारा 3 अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है।"

अधिनियम की धारा 17 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि आयुक्त को लिखित आदेश द्वारा, अधिनियम के तहत अपनी कोई भी शक्ति और

कर्तव्य धारा 3 के तहत नियुक्त किसी भी व्यक्ति को उसकी सहायता के लिए सौंपने का अधिकार है।

7. स्पष्टता के लिए, हम यंहा नीचे अधिनियम की धारा 3(1) उद्धृत कर रहे हैं।

"3. कर लगाने की अधिकारिता:-

(1) राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को विक्रय कर, उडीसा के लिए आयुक्त के रूप में नियुक्त कर सकती है और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदत्त या लगाए गए हैं।"

धारा 3(1) को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को विक्रय कर आयुक्त नियुक्त कर सकती है और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे प्रदान किए जा सकते हैं या उस पर लगाए जा सकते हैं।

8. वर्तमान मामले में 14 मई 1997 को निम्नलिखित अधिसूचना को विक्रय कर आयुक्त द्वारा जारी किया गया जिसके तहत उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 16-डी, के तहत विक्रय कर अधिकारियों और धारा 3(3) के तहत नियुक्त विक्रय कर निरीक्षकों को अपनी शक्तियां और कर्तव्य प्रत्यायोजित कर दिए हैं।

"वाणिज्यिक कर आयुक्त का कार्यालय उड़ीसा, कटक:

सं. V(VI)45/97.110008/सीटी

दिनांक 14.5.97

अधिसूचना

ओएसटीएक्ट, 1947(उड़ीसा अधिनियम 17, 1947) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, इसके सामंतराय, आईएएस, विक्रय कर आयुक्त, उड़ीसा इसके द्वारा नई धारा 16-ए और धारा 16 डी के तहत अपनी शक्तियां और कर्तव्य विक्रय कर अधिकारियों एवं विक्रय कर निरीक्षकों को सौंपता हूं, ओएसटी अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत नियुक्त विक्रय कर अधिकारियों और विक्रय कर निरीक्षकों को उक्त अधिनियम के तहत निर्देश दिया गया कि विक्रय कर अधिकारियों और विक्रय कर निरीक्षकों द्वारा उड़ीसा राज्य में उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर उक्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा।

एसडी/-

ए.के. सामंतराय

विक्रय कर आयुक्त,

उड़ीसा , कटक

14 मई, 1997 की अधिसूचना के बाद, 12 अक्टूबर, 1998 को एक और अधिसूचना भी जारी की गई जो इंगित करती है कि अधिनियम की धारा 16-डी के तहत अधिकार क्षेत्र-वार अधिकारियों को सौंपे गए हैं। उक्त अधिसूचना उन अधिकारियों की पूरी सूची देती है जिन्हें पदनाम-वार और क्षेत्र-वार शक्तियां दी गई हैं।

9. प्रत्येक विभाग अपने स्वयं के सतर्कता अधिकारी रखने का हकदार है। वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि तलाशी और जब्ती के लिए नियुक्त विक्रय कर अधिकारी विक्रय कर विभाग से हैं और वह एक विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) है जिसे अधिनियम की धारा 16-डी के तहत न केवल तलाशी लेकर दस्तावेज जब्त करने के साथ ही मौके पर रकम भी बरामद की जाने की शक्ति दी गई है। इसलिए, पहले बिंदु पर, उच्च न्यायालय ने यह कहने में गलती की थी कि विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) कर का आकलन करने और वसूलने का हकदार नहीं था क्योंकि वह पुलिस महानिरीक्षक के अधीन कार्य करता था।

10. ऊपर दिए गए दूसरे प्रश्न पर आते हुए, अधिनियम की योजना की जांच करने पर, हम पाते हैं कि 'डीलर' शब्द को अधिनियम की धारा 2(सी) के तहत विशेष रूप से परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ कोई भी व्यक्ति है जो व्यापार करता है। सीधे या अन्यथा सामान खरीदने, बेचने, आपूर्ति करने या वितरित करने का और इसमें एक कमीशन एजेंट,

एक दलाल, शामिल है, व्यापारिक एजेंट जो माल में संपत्ति का हस्तांतरण करता है, वह व्यक्ति जो किराया खरीद के सामान की डिलीवरी करता है आदि। अधिनियम की धारा 3(1) उपर उद्धृत की गई है। धारा 3-ए आयुक्त की शक्तियों और कार्यों को संदर्भित करती है। उसे धारा 3-ए(1) के तहत विक्रय कर के कार्यकारी प्रशासन में कार्यरत सभी व्यक्तियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति दी गई है। धारा 4 कराधान की घटनाओं से संबंधित है। धारा 5 कर की दर से संबंधित है। धारा 11 डीलर द्वारा रिटर्न दाखिल करने को संदर्भित करता है जैसा कि आयुक्त द्वारा निर्धारित तरीके से दिए गए नोटिस द्वारा आवश्यक हो सकता है। धारा 12 कर निर्धारण से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि यदि आयुक्त संतुष्ट है कि किसी भी अवधि के संबंध में प्रस्तुत रिटर्न सही और पूर्ण हैं, तो वह ऐसे रिटर्न के आधार पर डीलर से देय कर की राशि का आकलन करेगा। धारा 12(2)(ए) में कहा गया है कि यदि आयुक्त डीलर द्वारा दायर किए गए साक्ष्य और रिटर्न के उत्पादन से संतुष्ट नहीं है, तो, धारा 12 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आयुक्त, डीलर को सुनने के बाद, आकलन करेगा उसे टर्नओवर के आधार पर धारा 12(4) के तहत, आयुक्त को सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन करने का भी अधिकार है। इसलिए, हमारे विचार में, धारा 12 आयुक्त द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन को संदर्भित करती है। अधिनियम की धारा 16-ए के तहत, राज्य सरकार, कर चोरी को रोकने या जांच करने के लिए, अधिसूचना

द्वारा, एक अवरोध के निर्माण का निर्देश दे सकती है और वह इस संबंध में आयुक्त को वाहन रोकने और ऐसे कदम उठाने का अधिकार दे सकती है। कर की वसूली के मामले में आयुक्त का मानना है कि कर की चोरी की गई है।

11. अधिनियम की धारा 16-डी कुछ मामलों में दस्तावेजों और खातों के उत्पादन और निरीक्षण से संबंधित है। हम यंहा नीचे धारा 16-डी को उसकी संपूर्णता में उद्धृत कर रहे हैं:

"16- डी कुछ मामलों में खातों और दस्तावेजों का उत्पादन और निरीक्षण। धारा 16-ए और 16-बी में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जंहा एक ट्रांसपोर्टर या जमानतदार (बेली) या गोदाम का मालिक या पट्टेदार, जिसे ट्रांसमिशन के लिए माल वितरित किया जाता है, ऐसे माल को डिलीवरी से पहले उससे ले लिया जाता है। किसी भी कार्यालय, दुकान, गोदाम, जहाज, नाव, गोदाम, वाहन या किसी अन्य स्थान पर, आयुक्त को ऐसे कार्यालय, दुकान, गोदाम, जहाज, गोदाम, वाहन या किसी अन्य स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति होगी। मामला हो सकता है, और माल की जांच करना और उससे संबंधित सभी रिकार्ड का निरीक्षण करना और, ऐसे हर मामले में, ट्रांसपोर्टर, जमानतदार, मालिक या गोदाम के पट्टेदार या ऐसे सामान और रिकार्ड के प्रभारी व्यक्ति को सभी सुविधाएं देनी होगी ऐसी जांच और निरीक्षण के लिए और विक्रय के बिल या ऐसे

अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो माल से संबंधित आवश्यक हो सकते हैं और अपना नाम और पता और ट्रांसपोर्टर, जमानतदार, मालिक या गोदाम के पट्टेदार या व्यक्ति का नाम और पता देंगे। ऐसे माल और अभिलेखों का प्रभारी, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(i) “ट्रांसपोर्टर” का अर्थ है किसी मालवाहक वाहन का मालिक या उसका कब्जा या नियंत्रण रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जो किराए पर या अपने स्वयं के खाते पर किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करता है, और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसका के तहत जारी परमिट में नाम दर्ज है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 उसके धारक के रूप में, चालक या ऐसे वाहन का प्रभारी कोई अन्य व्यक्ति:

(ii) “बेली” का अर्थ वह व्यक्ति है जिसें माल वितरित किया जाता है।

(iii) “पट्टेदार” का अर्थ वह व्यक्ति है जिसें माल का पट्टा पट्टेदार द्वारा दिया जाता है और

(iv) “माल वाहन” का अर्थ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में परिभाषित माल ढुलाई है।

स्पष्टीकरण II- इस धारा के प्रयोजन के लिए, जंहा माल किसी ट्रांसपोर्टर, जमानतदार या गोदाम के मालिक या पट्टेदार को ट्रांसमिशन के लिए

वितरित किया जाता है, माल की आवाजाही ऐसी डिलीवरी के समय शुरू मानी जाएगी और समाप्त हो जाएगी। ऐसी डिलीवरी का समय और उस समय समाप्त हो जाएगा जब डिलीवरी ट्रांसपोर्टर, बेली या गोदाम के मालिक या पट्टेदार से ली गई हो, जैसा भी मामला हो।

(2) यदि आयुक्त के पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई ट्रांसपोर्टर, जमानतदार या गोदाम का मालिक या पट्टेदार उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने या इस अधिनियम के तहत देय किसी भी कर के भुगतान से बचने का प्रयास कर रहा है, वह, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, परिवहनकर्ता, जमानतदार या, जैसा भी मामला हो, गोदाम के मालिक या पट्टेदार के ऐसे खातों, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों को जब्त कर सकता है, जैसा कि आवश्यक हो, उसी के लिए रसीद प्रदान कर सकता है। और जब तक उसकी जांच या अभियोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो तब तक उसे अपने पास रखेगा।

(3) उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्ति में किसी भी बक्से, अलमारी या अन्य पात्र को तोड़ने की शक्ति शामिल होगी जिसमें ट्रांसपोर्टर, जमानतदार या मालिक या गोदाम के पट्टेदार के किसी भी खाते, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों को तोड़ने की शक्ति शामिल होगी। या किसी भी परिसर के दरवाजे तोड़ना जंहा ऐसा कोई खाता, रजिस्टर या किसी सामान का दस्तावेज रखा जा सकता है।

(4) उप-धारा (3) के तहत प्रयोज्य शक्तियां इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत नियुक्त विक्रय कर अधिकारी के पद से नीचे के किसी भी अधिकारी को नहीं सौंपी जाएंगी।

(5) आयुक्त के पास किसी भी मालवाहक वाहन को जब्त करने या किसी ट्रांसपोर्टर, जमानतदार या गोदाम के मालिक या पट्टेदार के किसी भी सामान को जब्त करने और जब्त करने की शक्ति होगी, जो किसी भी कार्यालय, दुकान, गोदाम, वाहन या जहाज या किसी में पाया जाता है। पारगमन के दौरान अन्य स्थान लेकिन ट्रांसपोर्टर, जमानतदार या गोदाम के मालिक या पट्टेदार द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने खातों, रजिस्ट्रों और ऐसे माल के संबंध में बनाए गए अन्य दस्तावेजों में इसका हिसाब नहीं दिया गया है।

बर्शाते कि इस उपधारा के तहत माल की जब्ती की कार्यवाही करने से पहले, आयुक्त प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई को अवसर देगा और निर्धारित तरीके से जांच करेगा।

बर्शाते कि जहां प्रभावित व्यक्ति आयुक्त को ऐसे माल के संबंध में देय उचित दर पर कर की राशि का भुगतान करता है, जिसका निर्धारित तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा और जब्त किए गए माल के मूल्य के बीस प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगाया जाएगा। उपरोक्तानुसार जब्त किए गए माल और वाहन को छोड़ दिया जाएगा।"

12. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कर की प्रभार्यता, मूल्यांकन, परिमाणीकरण और वसूली की अवधारणाएं हैं। अधिनियम की धारा 12 मूल्यांकन को संदर्भित करती है जबकि उक्त अधिनियम की धारा 15 के प्रावधान कर की वसूली और संग्रहण को संदर्भित करते हैं। इसलिए, अधिनियम की योजना एक ओर मूल्यांकन और दूसरी ओर कर की वसूली के बीच विभाजन (डाइकोटमि) पर आधारित है। धारा 12, के तहत, मूल्यांकन अधिकारी को रिटर्न की जांच करनी होती है। वह रिटर्न स्वीकार कर सकता है। यदि उसे पता चलता है कि रिटर्न क्रम में नहीं है, तो निर्धारिती को नोटिस देने के अधीन, वह उचित मूल्यांकन आदेश पारित करने का हकदार है। हालांकि, धारा 16-डी के तहत आने वाले मामलों में जंहा विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) द्वारा चैक पोस्ट पर चोरी का पता लगाया जाता है और माल जारी करने के लिए, उक्त अधिकारी द्वारा कौन सा सामान जारी किया गया है, व्यक्तियों अनुभाग में नामित कर का भुगतान करने की पेशकश करता है, तो ऐसे मामले में, विक्रय कर अधिकारी को स्पष्ट रूप से कर की गणना करने और ऐसे व्यक्तियों को भुगतान करने के लिए बुलाने का अधिकार दिया जाता है। जुर्माने सहित कर के ऐसे भुगतान पर, विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) को जब्त किए गए सामान को छोड़ना आवश्यक है। इसलिए वह कर की गणना और मौके पर कर की वसूली के लिए प्रासंगिक मामला है।

13. प्रतिवादी की ओर से मुख्य तर्क यह है कि विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) के पास कर का आकलन करने की कोई शक्ति नहीं है। यह है तर्क दिया गया कि कर निर्धारण की शक्ति केवल अधिनियम की धारा 12 में मौजूद है। यह तर्क दिया है कि विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) जो तलाशी लेता है और जो धारा 16-डी के तहत सामान जब्त करता है, उसके पास कर का आकलन करने की कोई शक्ति नहीं है और, इन परिस्थितियों में, उक्त अधिकारी केवल तलाशी ले सकता है, सामान और ट्रक को जब्त कर सकता है और मामले को मूल्यांकन अधिकारी को संदर्भित करें, जिसके बाद, डिफाल्टर के खिलाफ मूल्यांकन कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है। हमें इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता, धारा 16-डी में आकलन शब्द का अलग अर्थ है। हमारे विचार में, धारा 16-डी में आकलन शब्द गणना के बारे में बात करता है। गणना भी मूल्यांकन है, धारा 16 डी अपने आप में एक संहिता है। यह एक अलग क्षेत्र में काम करता है, अधिनियम की धारा 12 के तहत, मूल्यांकन अधिकारी डीलर द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न का विश्लेषण करता है, जबकि धारा 16-डी के तहत आने वाले मामलों में जहां निर्धारिती अपने माल/वाहन की रिहाई के लिए मौके पर कर का भुगतान करने की पेशकश करता है, विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) को कर की गणना/लेखा करनी होती है और, कर के भुगतान पर, वह माल/ट्रक को छोड़ने की अनुमति देता है। हमारे विचार में, विक्रय कर अधिकारी (सतर्कता) द्वारा मौके पर की गई यह गणना भी एक

मूल्यांकन है। हालांकि, कर के उस मूल्यांकन (गणना) का अधिनियम की धारा 12 के तहत नियमित मूल्यांकन से कोई लेना-देना नहीं है।

14. उपर्युक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हैं। हम विशेष रूप से कर और जुर्माने की राशि की मात्रा के संबंध में मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। इसमें प्रतिवादी कानून के अनुसार उचित प्राधिकारी के समक्ष दंड और कर की मात्रा के संबंध में उचित कार्यवाही अपनाने का हकदार होगा।

15. तदनुसार, सिविल अपील को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी कृष्ण मुरारी जिन्दल, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।